डीजी-परिपत्र 15 /2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जून 02 ,2017

विषयः- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 में वर्णित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि भारत सरकार में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम(सी0ओ0टी0पी0ए0) 2003 को मई 2003 में लागू किया था जिसके प्रमुख धाराओं यथा धारा -4, धारा-5, धारा-6अ, धारा-6ब एवं धारा-7 आदि धाराओं को उचित रूप में क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। इसके अनुपालन हेतु मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। पूर्व निर्गत परिपत्रों में तम्बाकू उत्पादों का विशेष रूप से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम-2003 का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु परिपत्र निर्गत करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सम्यक् रूप से नहीं हो रहा है।

डीजी-परिपत्र-05/2012 दिनांक 30.01.2012
डीजी-परिपत्र-40/2013 दिनांक 24.07.2013
डीजी-परिपत्र-72/2015 दिनांक 22.10.2015
डीजी-परिपत्र-62/2016 दिनांक 04.11.2016
डीजी-सात-एस-3(249)09/2016 दिनांक 16.05.2016
डीजी-सात-एस-3(249)09/2016 दिनांक 16.08.2016

आप सहमत होगें कि प्रदेश में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम-2003 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन न किये जाने से जहॉ एक ओर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का समुचित पालन नही होता है, वहीं विशेषकर बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम-2003 में वर्णित धारा-4 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है तथा सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय एवं अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध सम्बन्धी सूचना पट लगाया जाना आवश्यक है। धारा-5 में तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु उनके द्वारा परियोजन एवं प्रोत्साहन का निषेध है। धारा-6ए में "18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध एवं धारा-6ब में शैक्षणिक संस्थाओं के 100मीटर की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है तथा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन अधिनियम 2003 की धारा-7 की उपधारा(2) के अनुश्रवण में राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना उत्तर प्रदेश राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, जो इसका उल्लघंन करता है, उक्त अधिनियम की धारा-20 के अधीन दण्डित किया जायेगा।)"

उल्लेखनीय है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम-2003 में वर्णित **धारा-20** में दण्ड की व्यवस्था की गयी है जिसका अंश निम्नवत हैः-

20(1) Any person who produces or manufactures cigarettes or tobacco products, which do not contain, either on the package or on their label, the specified warning and the nicotine and tar contents, shall in the case of first conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and for the second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Any person who sells or distributes cigarettes or tobacco products which do not contain either on the package or on their label, the specified warning and the nicotine and tar contents shall in the case of first conviction be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, and for the second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to three thousand rupees.

मैं चाहूँगा कि उक्त निर्देशों का आप स्वयं अध्ययन कर लें, तथा इन निर्देशों से जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियो/थानाध्यक्षों को विस्तार से अवगत करा दें कि बच्चों को विशेष रूप से तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री एवं उनके द्वारा प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु स्कूलों के समीप सार्वजनिक स्थलों, सिनेमाहाल, पार्क, बार, रेस्टोरेन्ट, दुकानों आदि स्थलों का चिन्हांकन कर लें एवं इन स्थानों पर बच्चों से तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न होने देना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाये ताकि आम-जनता को भी इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हो सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

भवदीय
26/1/17
(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/सी०आई०/एस०एस०पी० कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
4.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।